

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

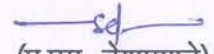
क्रमांक :- एफ.2(4251)/डी.ओ.आई. टी./संस्था/14/1/34011/2015 जयपुर, दिनांक : 26/06/15

अनापत्ति प्रमाण पत्र

सुश्री नेहा वाधवा, सूचना सहायक, कार्यालय जिला औषधि भण्डार गृह, जयपुर प्रथम को IGNOU से MBA की पत्राचार परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति सुश्री नेहा वाधवा को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. कर्मचारी का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
3. कर्मचारी को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उत्तीर्ण की गयी परीक्षा की सत्यापित अंकतालिका परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस में उचित माध्यम से इस विभाग को प्रेषित करनी होगी।
4. परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
5. अध्ययन स्वीकृत दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पाएगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
7. अध्ययन वर्ष में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने पर उसकी पूर्ति हेतु सरकार/विभाग द्वारा किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
8. प्रशासनिक कारणों से अध्ययन परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
9. परीक्षा के दिवसों में उपभोग किए गए अवकाश नियमानुसार जिस श्रेणी में आवेदित किए गए हों, के अनुसार उचित स्तर पर स्वीकृति हेतु भिजवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।
10. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्यता या गैर-मान्यता के सम्बन्ध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।
11. पत्राचार/स्वयंपाठी पाठ्यक्रम हेतु आवेदक को बाकी रहे वर्षों-द्वितीय/तृतीय की परीक्षा के लिए पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की आवश्यकता नहीं है।


(ए.एम. देशपाण्डे)

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. जिला परियोजना समन्वयक एवं प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार गृह, जयपुर प्रथम।
2. सुश्री नेहा वाधवा, सूचना सहायक, जिला औषधि भण्डार गृह, जयपुर प्रथम।
3. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।
4. प्रभारी अधिकारी वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु।



तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक :- एफ.2(5048)/डी.ओ.आई. टी./संस्था 14/5/33939/2015 जयपुर, दिनांक : 25/06/15

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री भरत लाल मीणा, सूचना सहायक, कार्यालय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चितरी, को VMOU, KOTA से M.Sc. की पत्राचार परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति श्री भरत लाल मीणा को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. कर्मचारी का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
3. कर्मचारी को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उत्तीर्ण की गयी परीक्षा की सत्यापित अंकतालिका परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस में उचित माध्यम से इस विभाग को प्रेषित करनी होगी।
4. परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
5. अध्ययन स्वीकृत दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पाएगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
7. अध्ययन वर्ष में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने पर उसकी पूर्ति हेतु सरकार/विभाग द्वारा किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
8. प्रशासनिक कारणों से अध्ययन परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
9. परीक्षा के दिवसों में उपभोग किए गए अवकाश नियमानुसार जिस श्रेणी में आवेदित किए गए हों, के अनुसार उचित स्तर पर स्वीकृति हेतु भिजवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।
10. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्यता या गैर-मान्यता के सम्बन्ध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।
11. पत्राचार/स्वयंपाठी पाठ्यक्रम हेतु आवेदक को बाकी रहे वर्षों-द्वितीय/तृतीय की परीक्षा के लिए पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की आवश्यकता नहीं है।

— 54 —

(ए.एम. देशपाण्डे)
तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चितरी।
2. श्री भरत लाल मीणा, सूचना सहायक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चितरी।
3. प्रभारी अधिकारी वेबसाइट
4. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

1

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

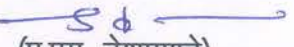
क्रमांक :- एफ.2(5785)/डी.ओ.आई. टी./संस्था/14/5/33933/2015 जयपुर, दिनांक : 25/06/15

अनापत्ति प्रमाण पत्र

सुश्री बबीता सैनी, सूचना सहायक, कार्यालय राजकीय चिकित्सालय नवलगढ़ झुझुनूं को JNU, JAIPUR से MCA II YEAR की पत्राचार परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति सुश्री बबीता सैनी को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. कर्मचारी का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
3. कर्मचारी को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उत्तीर्ण की गयी परीक्षा की सत्यापित अंकतालिका परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस में उचित माध्यम से इस विभाग को प्रेषित करनी होगी।
4. परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
5. अध्ययन स्वीकृत दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पाएगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
7. अध्ययन वर्ष में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने पर उसकी पूर्ति हेतु सरकार/विभाग द्वारा किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
8. प्रशासनिक कारणों से अध्ययन परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
9. परीक्षा के दिवसों में उपभोग किए गए अवकाश नियमानुसार जिस श्रेणी में आवेदित किए गए हों, के अनुसार उचित स्तर पर स्वीकृति हेतु भिजवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।
10. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्यता या गैर-मान्यता के सम्बन्ध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।
11. पत्राचार/स्वयंपाठी पाठ्यक्रम हेतु आवेदक को बाकी रहे वर्षों-द्वितीय/तृतीय की परीक्षा के लिए पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की आवश्यकता नहीं है।


(ए.एम. देशपाण्डे)

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी राजकीय चिकित्सालय नवलगढ़।
2. सुश्री बबीता सैनी, सूचना सहायक, राजकीय चिकित्सालय नवलगढ़ झुझुनूं।
3. प्रभारी अधिकारी वेबसाइट
4. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।



तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव